सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 30-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिला कारागार सिद्धार्थनगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

आज दिनांक 30.08.2025 को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा ASP/क्षेत्राधिकारी सदर के साथ संयुक्त रूप से जिला कारागार सिद्धार्थनगर का औचक निरीक्षण किया गया । इस दौरान भोजनालय, बैरकों तथा बन्दियों का गहन निरीक्षण किया गया। जेल अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से उनके व जेल स्टाफ द्वारा जेल की चेकिंग की जाती है। जिला कारागार सिद्धार्थनगर मे निरीक्षण के समय सभी व्यवस्थाएं सन्तोषजनक पायी गयी । जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाए इसके लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । साथ ही जिला कारागार में आने वाले प्रत्येक नये कैदियों का जेल चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिला कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से कारागार का निरीक्षण करते रहे व निरूद्ध बन्दियों पर विशेष सतर्क दृष्टि रखे एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर कारागार मे निरूद्ध बन्दियों की गतिविधियों के सम्बन्ध मे जानकारी देते रहें।

प्रेस नोट दिनांक 30.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆सेवानिवृत्त हो रहे 05 पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में की गयी ससम्मान विदाई।

जनपद सिद्धार्थनगर से 05 पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण अपनी सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं लगन से कार्य करते हुए अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत हुए। इस अवसर पर "पुलिस लाइ सभागार कक्ष" में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी/कर्मचारीगण हेतु विदाई समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा ससम्मान विदाई की गयी। इस अवसर पर सर्वप्रथम सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों से उनका परिचय प्राप्त करते हुये सेवाकाल के अनुभवों के बारे में वार्ता की गयी। विदाई समारोह में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को माला पहनाकर, शाल व धर्मग्रन्थ आदि भेंटकर सम्मानित किया गया। उनके द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों के भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना गया साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बेझिझक सम्पर्क करने की बात कही गयी। महोदय ने सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों को उनके सुखद, आनन्दपूर्ण व उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुये सम्मानपूर्वक विदाई की गयी।

सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों का विवरण-

01.उ0नि0 सुभाष प्रसाद डायल-112 जनपद सिद्धार्थनगर।

02.उ0नि0 सुरेश चन्द्र पाण्डेय, थाना ए0एच0टी0यू0 जनपद सिद्धार्थनगर।

03.उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

04. लीडिंग फायरमैन विजय पाल सिंह फायर स्टेशन नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

05.कुक दीनदयाल साहनी रिजर्व पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 30.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆क्षेत्राधिकारी बांसी द्वारा थाना खेसरहा क्षेत्रान्तर्गत “सर्वजीत कौशल पब्लिक पी.जी. कालेज” पेडारी बुजुर्ग में “साइबर पाठशाला” का आयोजन कर अध्यापकगण एवं छात्र/छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे मे जागरुक किया गया।

पुलिस मुख्यालय लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा साइबर जागरूकता में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 30.08.2025 को प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन, मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी बांसी द्वारा साइबर जागरूकता के तहत थाना खेसरहा क्षेत्र के अंतर्गत "सर्वजीत कौशल पब्लिक पी.जी. कालेज पेडारी बुजुर्ग" में शिक्षकों व विद्यार्थियों के उपस्थिति में साइबर कार्यशाला का आयोजन कर अध्यापकगण व विद्यार्थियो को सोशल मीडिया पर ऐसे फेक न्यूज़ जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं उनको शेयर न करना, सोशल मीडिया के किसी भी सूचना को बिना जाने समझे शेयर ना करना, पुलिस के कार्यों को प्रोत्साहित करना आदि। अध्यापकगण व विद्यार्थियो को साइबर अपराध से बचने व भ्रामक जानकारी से बचाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान डिजिटल वॉरियर के अंतर्गत फेक न्यूज, साइबर क्राइम की पहचान, इसके प्रभाव, तथ्य, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइबर जागरुकता हेतु Cyber Dost नाम से संचालित किए जा रहे X(ट्विटर), फेसबुक एवं इंस्टाग्राम अकाउंट एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के अकाउंट @UPPolice, साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930 के बारे में जागरुक किया। समाज मे साइबर अपराध के सम्बन्ध मे जागरूकता अभियान चलाने हेतु उनके कर्तव्यों से भी अवगत कराया गया।

प्रेस नोट- दिनांक 30.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना कठेला समयमाता पुलिस द्वारा जनपद में हो रही चोरियों की रोकथाम के लिए ग्राम नदबलिया में जन चौपाल आयोजित कर ग्रामीणो से पुलिस का सहयोग करने हेतु प्रेरित किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश/सुझाव दिया गया।

आज दिनांक 30.08.2025 को ग्राम सभा नदबलिया थाना कठेला समय माता में एक ग्राम चौपाल लगाया गया जहां पर गांव के पुरुष महिलाएं बच्चे तथा नवयुवक तथा बालिकाएं उपस्थित रहे जन चौपाल में वर्तमान में जनपद में हो रहे चोरियों के रोकथाम के लिए युवाओं का ग्रुप बनाकर पुलिस के सहयोग से गांव में घूमने तथा अवांछित तत्वों के रोकथाम के प्रयास के बारे में बताया गया। चौपाल के दौरान लोगों से आगामी त्यौहार को सकुशल मनाने तथा गांव में होने वाले किसी भी ऐसी समस्या जिससे भविष्य में कोई बड़ी घटना होने की संभावना हो समय रहते स्थानीय प्रशासन के माध्यम से समाधान करने हेतु अवगत कराया गया।

प्रेस नोट- दिनांक 30.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆आगामी त्यौहार वारावफात,नवरात्रि(दुर्गा पूजा), दशहरा, अनन्त चतुर्दशी को सकुशल सम्पन्न कराने, शान्ति, सुरक्षा एवं कानुन व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपदीय पीस कमेंटी की मीटिंग का आयोजन किया गया।

आज दिनांक 30.08.2025 को जनपद सिद्धार्थनगर में स्थित कलक्ट्रेट सभागार कक्ष में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व डॉ0 राजा गणपति आर. जिलाधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा आगामी त्यौहार वारावफात,नवरात्रि(दुर्गा पूजा), दशहरा, अनन्त चतुर्दशी को सकुशल सम्पन्न कराने, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु जनपदीय पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, धर्मगुरूओं, जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों से अपील की गयी कि सभी लोग एक दूसरे के धर्म की भावनाओं का सम्मान करें, जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखें, सामप्रदायिक सौहार्द बिगाड़नें की कोशिश करने वालों / असामाजिक तत्वों / किसी भी प्रकार की आपराधिक, अवांछित गतिविधियों के दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें बल्कि अफवाहों की पुष्टि उच्चाधिकारियों से करें तथा जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल बनाये रखने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ /गलत /अशोभनीय पोस्ट शेयर न करें तथा ऐसे कमेंट न करें जिससे किसी व्यक्ति / सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हों।

मीटिंग के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर तथा उप जिलाधिकारीगण, क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

प्रेस नोट- दिनांक 30.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन में रिक्रूट आरक्षियों के आउटडोर प्रशिक्षण का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक- 30.08.2025 को पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में पुलिस आरक्षी भर्ती-2023 के रिक्रूट आरक्षियों के चल रहे आउटडोर प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। प्रशिक्षण प्रदान कर रहे प्रशिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियो से वार्ता किया गया उनकी समस्याओं को सुनकर व निराकरण करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इस दौरान प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, विश्वजीत शौरयान क्षेत्राधिकारी सदर (आई0पी0एस0) तथा बी0एन0 गुप्ता प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 30-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना शोहरतगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से NDPS आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹ 1,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 30-08-2025 को वाद सं0 01/2018 मु0अ0सं0 3418/2017 धारा- 8/21 स्वापक औषधि एवं मन: प्रभारी पदार्थ अधिनियम-1985 थाना शोहरतगढ़ में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश मो0 रफी न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त लक्ष्मण यादव पुत्र स्व0 कौलेश्वर यादव निवासी कर्मा थाना कृष्णानगर जनपद कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल को धारा 21(c) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभारी पदार्थ अधिनियम-1985 के तहत **10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 1,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।** सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामसूरत तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी उदय साहनी थाना शोहरतगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट- दिनांक 30-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना भवानीगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप मे 03 आरोपियों को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 30-08-2025 को सत्र परीक्षण सं0 469/2021 मु0अ0सं0 02/2021 धारा-306,201,504,506 भादवि0 थाना भवानीगंज में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-1 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 1-अंकुर पुत्र भरतलाल, 2-प्रीती पुत्री भरतलाल, 3-भरतलाल पुत्र भगवती प्रसाद निवासीगण गौरा चौकी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी मुकेश निगम थाना भवानीगंज का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट- दिनांक 30.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने तथा आगामी त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु पुलिस लाइन सभागार में गोष्ठी किया गया।

◆ सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 30.08.2025 को पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने तथा आगामी त्यौहार को सकुशल कराये जाने हेतु पुलिस लाइन सभागार में गोष्ठी किया गया । गोष्ठी के दौरान गणेश चतुर्दशी/विनायक चतुर्दशी, बारावफात, विश्वकर्मा पूजा, दूर्गा पूजा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने, चोरी, नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु थाना स्तर पर की गयी तैयारियों की समीक्षा तथा शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, रात्रि गश्त/पीकेट व यू0पी0-112 पर प्राप्त इवेन्ट के सम्बन्ध में समीक्षा एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने व गैगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति जप्ती इत्यादि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।

उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, वाचक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी यू0पी0-112 सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे

प्रेस नोट दिनांक 30-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में त्यौहार वारावफात तथा विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 30.08.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा त्यौहार वारावफात, अनन्त चतुर्दशी तथा विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया। आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया।